


नम्बर 4 तारीख
अहमदन जो इस
हुकम भी सामील
वे जारी हुए

दिनांक

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

11/4/25

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी आदि उपः) उपस्थितता/परीक्षण
की तलबी हेतु वादी आदि वरत द्वारा वादावली पेश की गई
के उपरान्त से अमानत तलबाने पेश नहीं किये गये हैं।
अंतिम अवसर प्राप्त वाका पत्रावली दिनांक 15/4/25
को पेश हो।


15/4/25

15/4/25

पत्रावली पेश हुई। वादी एवं वादी आदि वरत अनुः।
वादी एवं वादी आदि वरत की नियमानुसार तीन बार
आवाजे लगाई गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं आया।
समय 5-50 PM हो चुका है। वादी एवं वादी आदि वरत
को न्यायालय में पुनः आवाज लगावाई गई, परन्तु कोई
उपस्थित नहीं आया। वादी एवं वादी आदि वरत के
उपस्थित नहीं माने से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत
पारा 88, 89, 92 क, 53 एवं 188 राज-मान कारनकारी
आधीनियम को अदम लागू। अदम पेशी में प्रार्थी
किया जाता है। निर्णय करे देवलाल सुभाष गजरा।
पत्रावली फाइनल शुमार होकर दाखिल वाकत ले तथा
तम्बर से कम हो। एकी प्रार्थी वादी लेकर आदि वरत
मिल लें।


15/4/25

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7 जा०दी०)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी—अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. देवीलाल गोदपुत्र स्व० रामलाल गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी गुन्दली, तह० एवं जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. झमकु पत्नी स्व० रामा गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी गुन्दली तह० एवं जिला भीलवाड़ा
2. हगामी पत्नी स्व० रतना उर्फ रतन लाल गुर्जर जाति गुर्जर निवासी गुन्दली तह० एवं जिला भीलवाड़ा
3. मांगी पुत्री स्व० रतना उर्फ रतन लाल गुर्जर जाति गुर्जर निवासी गुन्दली तह० एवं जिला भीलवाड़ा
4. रूकमा पुत्री स्व० रतना उर्फ रतन लाल गुर्जर जाति गुर्जर निवासी गुन्दली तह० एवं जिला भीलवाड़ा
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा
6. राजस्थान राज्य जरिये उप तहसीलदार कारोईकलां तह० एवं जिला भीलवाड़ा
7. उपपंजीयक भीलवाड़ा, तह० एवं जिला भीलवाड़ा
8. उप पंजीयक कारोईकलां तह० एवं जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण


दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 92क, 53 व 188 रा० टि० एक्ट

बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरस्थी, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

प्रकरण संख्या 34/2024 राजस्व वाद

वादी एवं वादी अधिवक्ता श्री मांगी लाल सेन अनुपस्थित — इस वाद में आज तारीख 15.04.2025 को पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है—

वादी एवं वादी अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92क, एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।


(अरुण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा